हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती पुष्पा कंवर बनाम राजस्थान सरकार** **553/12 (आरसीएमएस नं. 2007/00004)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.18	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित वाद का न्यायालय सहायक कलक्टर, फागी के यहाँ से निर्णय दिनांक 17.06.2017 को हो गया है, परिणामस्वरूप अब इस अपील में अपीलार्थीया कोई निर्णय नही कराना चाहती है और बिना शर्त इस अपील को वापस लेना चाहती है, अपीलार्थीया के जो हित व अधिकार वादीया/अपीलार्थीया क्लेम कर रही थी उसका निस्तारण मूल वाद में हो चुका है परिणामस्वरूप प्रार्थीया अपील चलाना नही चाहती है। अतः निवेदन हे कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थीया विड्रो किये जाने के परिणामस्वरूप तदानुसार खारिज फरमाया जावे। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलार्थीया के हित व अधिकार जो वह क्लेम कर रही है उसका निस्तारण मूल वाद में हो चुका है इसलिये अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विड्रा कर खारिज करवाना चाहती है तो ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (राजेश्वर सिंह) संभागीय आयुक्त, जयपुर	